

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उपखण्ड—(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 324]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 1970/भाद्र 16, 1892

No. 324] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 1970/BHADRA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह छलप संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

(Administrative Vigilance Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September 1970

S.O. 2976.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely —

- (a) offences punishable under sections 147, 336 and 342 of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860),
- (b) attempts abetments and conspiracies in relation to, or in connection with one or more of the offences mentioned in clause (a) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts

[No 228(8)/70 AVD 2]

मंत्रिमंडल सिचवालय

(कानूनी विभाग)

(प्रशासनिक सहायता प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1970

क्रा० प्रा० 2976.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अपराधों को उन अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाना है, अर्थात् —

(क) भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धाराएँ 147, 335, और 342 के अधीन दण्डनीय अपराध ।

(ख) खण्ड (क) में वर्णित एक या अधिक अपराधों तथा एक ही तथ्यों से उद्भूत एक ही संयोजन के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के बारे में या के संबंध में अन्वेषण, दुरुपयोग और वधयंत्र ।

[सं० 228(8)/70-ए बीडी-2]

ORDER

New Delhi, the 7th September 1970

S.O. 2977.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 8, of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government with the consent of the Government of the State of Uttar Pradesh, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the State of Uttar Pradesh for the investigation of the offences punishable under sections 148, 302 and 307, and sections 147, 336 and 342, of the Indian Penal Code (45 of 1860), and any other offences committed in the course of the same transaction relating to the incidents that took place on the 10th August, 1970, in village Rajinder Nagar, P.S. Mohammadabad, district Farrukhabad, in which a boy was killed and an attack was made on the Staff Car of Shrimati Vidya Wati Rathore, Minister for Social Welfare, Government of Uttar Pradesh.

[No. 228(8)/70-AVD-2.]

P B. RAJAGOPALAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1970

क्रा० प्रा० 2977.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों को शक्तियों और अधिकारिता का, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धाराओं 148, 302 और 307 और धाराएं 147, 336, और 342 के अधीन दण्डनीय अपराधों और एक ही संयोजन के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों,

जो उन घटनाओं से सम्बन्धित हैं जो 10 अगस्त, 1970 को राजिन्द्र नगर ग्राम पुलिस स्टेशन मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद में हुई थी जिसमें एक बालक मारा गया था और उत्तर प्रदेश सरकार को समाज कल्याण मंत्री श्रीमति विद्यावती राठौर को स्टाफ कार पर आक्रमण किया गया था, का अन्वेषण करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तार करती है।

[सं० बी० 228(8)/70-ए बी डी-2]

डी० बी० राजगोपालन, उप सचिव।

